



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 25.06.2024

थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा मात्र 04 घंटे के अंदर वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की पिकअप बुलेरो गाड़ी बरामद।

घटना का विवरण-- दिनांक 25.06.2024 को थाना सेक्टर-24 क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चौड़ा से एक बुलेरो पिकअप रजि नं0 डीएल 1 एल.ए.ए 8170 चोरी होने की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 265/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त घटना का थाना सेक्टर 24 पुलिस द्वारा सफल अनावरण किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 25.06.2024 को थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 04 घंटे के अंदर तकनीकी साक्ष्यों व मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए वाहन चोरी करने वाले अभियुक्त रवि उर्फ जितेन्द्र पुत्र पृथ्वीराज को सेक्टर-11 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की बुलेरो पिकअप रजि नं0 डीएल 1 एल.ए.ए 8170 गाड़ी बरामद की गई है। अभियुक्त का एक साथी मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही

अभियुक्त का विवरण--

1. रवि उर्फ जितेन्द्र पुत्र प्रथ्वीराज निवासी ग्राम नाका अलीपुर पट्टी जिला मैनपुरी उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 बुलेरो पिकअप गाड़ी रजि0नं0 डीएल 1 एल.ए.ए 8170

पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 265/2024 धारा 379/411 भादवि थाना सेक्टर-24 नोएडा।

2. थाना जेवर पुलिस द्वारा अवैध असलाह के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **25.06.2024** को थाना जेवर पुलिस द्वारा गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए चेकिंग के दौरान अभियुक्त फुरकान उर्फ टम्पू पुत्र इसलाम को नगलिया गेट पुलिया के आगे झांझर रोड कस्बा जहांगीरपुर से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है।

अभियुक्त का विवरण--

1. फुरकान उर्फ टम्पू पुत्र इसलाम निवासी मौ0 व्यापारियन कस्बा जहाँगीरपुर थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 221/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 73/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 264/22 धारा 379/411 भादवि थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 55/21 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।